राष्ट्रीय एकता की रुकावटों का निराकरण (SOLUTION TO THE PROBLEMS OF INTEGRATION)

राष्ट्रीय एकता का मूल आधार है निष्ठा और राष्ट्रीय एकता की समस्या का इससे घनिष्ठ सम्बन्ध है। राष्ट्र का अर्थ है - एक ऐतिहासिक विचार, एक सांस्कृतिक चेतना, एक सीमाबद्ध इकाई, एक अपनत्व की भावना। इसी प्रकार हितों की समता का भाव, सुख-दुःख की समान अनुभूति और राष्ट्रीय समुदाय के विचार के प्रति भावनात्मक निष्ठा भी राष्ट्र की कल्पना में सन्निहित है। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने विघटनकारी प्रवृत्तियों को देखते हुए सशक्त केन्द्रीय शासन की स्थापना की थी जिससे देश एकता और संगठन के सूत्र में बंधा रहे, किन्तु भाषावार राज्यों के निर्माण से प्रादेशिक विषमताएं उभर आयीऔर वे केन्द्रीय सरकार से अपने संघीय सम्बन्धों के बारे में पुनर्विचार का आग्रह करने लगे। कभी-कभी प्रादेशिक उद्देश्यों के लिए प्रादेशिक सेनाओं तक का निर्माण करने की नौबत आ पहुंची और विघटन का खतरा बढ़ने लगा। आज भी राष्ट्र एकता के मार्ग में अनेक बाधाएं हैं। प्रो. वी. के. आर. वी. राव लिखते हैं, "भारत में हमारे सामने राष्ट्रीय और भावात्मक एकीकरण की समस्या है जिसे अधिकांश लोग स्वीकार कर चुके हैं, परन्तु इसका निदान क्या हो, यह स्पष्ट नहीं है। भारत में राष्ट्रीय एकता और भावात्मक एकीकरण की प्राप्ति के लिए क्या किया जाना चाहिए? उसे कौन करे और कैसे ? यह ऐसे प्रश्न हैं जिन पर बहुत चर्चा हो चुकी है, किन्तु अब तक कोई निश्चित उत्तर नहीं मिल सका है और न ही ऐसी कोई विस्तृत एवं रचनात्मक नीति ही बन सकी है जो क्रियान्वित की जा सके।'' निश्चित ही हमारी स्थिति किंकर्तव्यविमूढ़-सी है, किन्तु फिर भी इस दिशा में निम्नलिखित प्रयास किए जा सकते हैं ताकि भारत की राष्ट्रीयता के मार्ग के कण्टक दूर किए जा सकें

(1) समाज के सब वर्गों में राज-व्यवस्था का प्रवेश हो— प्रो. रजनी कोठारी के अनुसार, "भारत जैसे विशाल देश में जहां इतने विविध प्रकार के लोग रहते हैं, एकता की स्थापना इसी से हो सकती है कि, सब तत्वों को राजनीतिक सत्ता व अधिकार में भाग दिया जाए और सबको साथ लेकर चला जाए। इसके लिए जरूरी है कि समाज के सब वर्गों में राजनीतिक संस्था का प्रवेश हो । राजनीति की इस रचनात्मक भूमिका से ही एकीकरण की प्रवृत्तियों को बल मिलता है।" यदि सत्ता और राजनीति में एक ही वर्ग या कुछ वर्गों का आधिपत्य और एकाधिकार होगा तो निश्चित ही अन्य वर्गों में निराशा और अलगाव की भावनाउत्पन्न होगी। समाज के विविध वर्गों को राजनीतिक गतिविधि में खींचना होगा और राजनीतिक संस्थाओं को जनता में फैलाना होगा। आधकार

(2) सहकारी संघवाद का निर्माण—भारत की राजनीतिक व्यवस्था में राज्यों की राजनीति पर भी अवश्य ध्यान दिया जाना चाहिए और सशक्त राष्ट्र के निर्माण के लिए इन प्रादेशिक इकाइयों की शक्ति और ओज का रचनात्मक ढंग से प्रयोग किया जाना चाहिए। वस्तुतः हमें संघर्षात्मक और प्रतिस्पर्द्धात्मक

प्रादेशिकता की भावना समाप्त कर सहकारी एवं सहयोगी संघवाद के भव्य भवन का निर्माण करना चाहिए। सहयोगी संघवाद में पारस्परिक विवादों और मतभेदों का निवारण शान्तिपूर्ण वातावरण में कर लिया जाता है। राज्यों के बीच नदी पानी, सीमा, वित्तीय साधनों और राष्ट्रीय सम्पदा के वितरण को लेकर उग्र आन्दोलनात्मक रूप नहीं अपनाया जाता।